बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बैली रोड, पटना)

पत्रांक 1000 /पटना, दिनांक 17/07 /2017

M-VI/पेंशनर्स फोरम - 4001/15

प्रेषक,

राजीव रंजन सिन्हा,
महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्रशा0)

सेवा में,

महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०)
साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/
नार्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड पटना।
उप महाप्रबंधक (कार्मिक),
बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड

विषय:- बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड पेंशनर्स फोरम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसीटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18/07/2017 को धरना/प्रर्दशन करने की सूचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड पेंशनर्स फोरम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसीटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 18.07.2017 को एकदिवसीय धरना/प्रर्दशन करने की सूचना दी गई है (प्रति संलग्न)।

अतएव बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसीटी बोर्ड पेंशनर्स फोरम एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसीटी सप्लाई वर्कर्स यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से एकदिवसीय धरना/प्रर्दशन करने की सूचना के आलोक में कहना है कि धरना/प्रर्दशन में भाग लेने वाले कर्मियों को "काम नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धांत के तहत धरना/प्रर्दशन करने की सूचना के दिन का वेतन अनुमान्य नहीं होगा। धरना/प्रर्दशन की अवधि में किसी प्रकार की छुट्टी भी नहीं दी जाएगी। प्रस्तावित धरना/प्रर्दशन की स्थिति से निपटने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय, ताकि कार्यस्थल पर शान्ति व्यवस्था एवं विद्युत आपूर्ति सूचारू रूप से चालू रहे इस कार्य हेतु स्थानिय प्रशासनिक अधिकारियों से भी आवश्यकतानुसार मदद ली जाए। साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालय/प्रतिष्ठान आदि के नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से अपने कार्यालयों/प्रतिष्ठान का भौतिक निरीक्षण कराकर धरना/प्रर्दशन में भाग लेने वाले कर्मियों की सूची यथा नाम, पदनाम, पदस्थापन स्थान प्राप्त कर नियमानुसार कार्रवाई किया जाय।

उपर्युक्त के संबंध में कृपया अपने स्तर से अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों को अविलम्ब निर्देश देने की कृपा किया जाय।

अनु० - तथैव।

विश्वासभाजन,

17/7/17

(राजीव रंजन सिन्हा)
महाप्रबंधक (मा०सं०/प्र०)

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं

इसकी सभी अनुषंगी कम्पनियों के प्रबन्धन की वादा खिलाफी एवं मजदूरों की घोर उपेक्षा की नीति के विरूद्ध

18 जुलाई 17 को पटने में राज्य के विद्युत कर्मियों का **विराट धरना** तथा

10 अगस्त 17 से अनिश्चित कालीन मुक्कमिल **हड़ताल** का सिंहनाद

तुझारू साथियों,

आप भुक्तभोगी हैं, विद्युत कम्पनियों के प्रबन्धन की मजदूरों के प्रति घोर उपेक्षा की नीतियों का, उनकी वादा खिलाफी का, उनकी गालफोंताशाही का।

यूनियन बहुत पहले से ही कहती रही है कि फ्रेंचाईजीज सरकारी सम्पत्ति की लूट कर रही है। लेकिन न उर्जा मंत्री न मुख्यमंत्री स बात को मानने को तैयार होते थे। अब जब उनकी लूटपाट काफी बढ़ गई है, पानी सर से उपर जा रहा है तब वे भी मानने लगे हैं क फ्रेंचाईजीज को देना गलत हो गया। लेकिन उसके बाद भी कोई कारवाई परिलक्षित नहीं हो रही है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता को प्रमण्डलों में मानबल नियुक्त करने का अधिकार मिला तो वहाँ भी पहले से कार्यरत, प्राइवेट मिस्त्री को छोड़कर भ्रष्टाचार के आधार पर नियुक्तियाँ हो रही है। मानव बल के कर्मियों को छः-छः महीनों तक वेतन नहीं दिया जाता है और मांगने पर उन्हें काम से निकालकर बाहर से पैसे के आधार पर नियुक्ति जारी है। इस पर शीर्ष प्रबन्धन चुप्पी साधे रहता है जो स्पष्ट करता है कि उनकी भी मिली भगत है। तरह-तरह से पैसों की लूट जारी है।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटन के बाद बनी बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० एवं इसकी चारो अनुषंगी कम्पनियों, यथा उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लि० एवं बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि० में कार्यरत विद्युत कर्मियों एवं पेन्सनरों की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है।

विद्युत वितरण का काम हो या उत्पादन एवं संचरण का, सभी कार्य स्थाई प्रकृति के हैं। श्रम कानूनों के मुताबिक इन कार्यों के लए स्थाई मजदूरों की नियुक्ति होनी है। लेकिन 1991 के बाद की आत्मनिर्भरता की नीति त्याग कर नई आर्थिक नीति अपनाये जाने के द यहाँ भी मजदूरों के काम के लिए अमेरिकन पद्धति अपनाई गई और कम्पनी बनने के बाद, सारे कार्यों के सम्पादन के लिए भ्रष्ट ेंचाईजीज, एजेन्सी, ठिकेदारी प्रथा को तरजीह दी जाने लगी। मजदूरों के साथ-साथ कनीय अभियंता, सहायक अभियंता आदि पदों पर भी नुबंध पर बहाली शुरू हुई। "कमीशन" पद्धति ने जोर पकड़ा। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया आदि बड़े शहरों को बड़े-बड़े पूंजीपतियों को ेंचाईजीज पर दिया गया। मीटर रीडर, विपत्र वितरण तथा विद्युत आपूर्ति एवं वितरण को कार्य के लिए हर आपूर्ति प्रमण्डल में एजेन्सी युक्त कर, उन्हें दिया गया। इस नियुक्ति का अधिकार सम्बंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता को दिया गया।

1991 से ही साम्राज्यवादी दबाव पर नई आर्थिक नीति अपनाये जाने के बाद राज्य विद्युत बोर्ड में नियमित पदों पर नियुक्तियां प्रायः द कर दी गई। बोर्ड के कार्यों के बढ़ते दबाव एवं उपभोक्ताओं की बढ़ती संख्या के मद्देनजर काम चलाउ प्राईवेट मिस्त्रियों को रखा गया। हें वेतन नहीं टीप्स (बक्शीश), सम्बंधित उपभोक्ताओं के तरफ से देकर, काम कराया जाने लगा।

यूनियन ने इनकी सेवा नियमित करने की मांग की। बिहार सरकार के श्रमायुक्त के यहाँ मामला गया। वहाँ तत्कालीन प्रबन्धन ने ह लाइन लिया कि ये प्राईवेट मिस्त्री हैं। बोर्ड ने इन्हें नहीं रखा है। यूनियन की ओर से कहा गया कि वे लगभग 7000 की संख्या में हैं ौर बोर्ड में विद्युत वितरण का काम ये लोग ही कर रहे हैं। समझौता हुआ कि बिहार सरकार का श्रम विभाग इसकी जाँच करेगा। यूनियन हर प्रमण्डल में कार्य कर रहे इनकी सूची श्रम विभागों को दी। श्रम विभाग के उपश्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त आदि पदाधिकारियों ने ंच कर रिपोर्ट बोर्ड को तथा श्रमायुक्त को सौंपा हर जगह जाकर उन्होंने जाँच की और देखा कि ये लोग ही काम कर रहे हैं। ये लोग ह के विद्युत वितरण, मेन्टीनेन्स के कार्य में लगे हैं।

इसके बाद बोर्ड के विखण्डन के बाद, कम्पनी बनने के उपरान्त बिहार सरकार के उर्जा सचिव ने आदेश दिया कि ये अनुभवी जदूर हैं। इन्हीं को विद्युत सप्लाई के कार्यों में लगाया जाय।

कम्पनी ने विद्युत वितरण के लिए हर प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया कि वितरण के कार्यों में एजेन्सियों को गाया जाए और उन्हीं मजदूरों को मानव बल (मैन पावर) में रखा जाय। बहुत प्रमण्डलों में तो उन्हें रखा गया। लेकिन कहीं-कहीं उन्हें ड़ दिया गया और बाहर से भी नियुक्तियाँ की गई।